राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प. 20(11)साप्र/5/2005–पार्ट जयपुर, दिनांक : 04.05.11

## आदेश

राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर वर्तमान स्थित माही रेस्ट हाउस को सामान्य प्रशासन विभाग में अधिग्रहण करते हुये विश्राम भवन बांसवाड़ा में परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। वर्तमान में संचालित विश्राम भवन बांसवाड़ा का भवन नव घोषित विश्राम भवन की एनेक्सी के रूप में माना जायेगा।

(किरण सोनी गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा, कृपया उक्त नव घोषित विश्राम भवन का कब्जा दिलाने में कार्यवाही को प्राथमिकता प्रदान करें।
2. मुख्य अभियन्ता, माही परियोजना, जल संसाधन विभाग, जयपुर/ बांसवाड़ा, कृपया माही रेस्ट हाउस के भवन को मैनेजर विश्राम भवन बांसवाड़ा को संभलवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करे।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. शासन उप सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बांसवाड़ा।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।
8. निजी सचिव, अति0मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा0प्र0वि0।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग।
11. प्रबन्धक विश्राम भवन, बांसवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि नव घोषित विश्राम भवन का कब्जा नियमानुसार इन्वेन्ट्री बनाकर प्राप्त करें।
12. प्रभारी अधिकारी, माही रेस्ट हाउस, बांसवाड़ा, कृपया रेस्ट हाउस का विधिवत् कब्जा प्रबन्धक विश्राम भवन, बांसवाड़ा को अतिशीघ्र सौंप देवें।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव